हनुमान बनाम राजस्थान सरकार

30/2013

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		आज दिनांक 24/07/2023 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/07/23 को पेश हों।
	28/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष [illegible] प्रकरण में पूर्व में बहस सुने एक माह से अधिक होने के कारण पुनः बहस अंतिम सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 04/08/2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	04/08/2023	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज र० से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 30/2013
निर्णय दिनांक : 04.08.2023

1. हनुमान
2. महेश
3. रमेश
4. अशोक
5. विनोद
   पुत्रान मूला समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा आमेर जिला जयपुर
6. श्रीमती बरजी देवी पुत्री मूला पत्नि श्री हरिनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अर्जनपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
7. श्रीमती राजूदेवी पुत्री मूला पत्नि महेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
8. कुमारी सावित्री देवी पुत्री मूला नाबालिग उम्र 14 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा आमेर जिला जयपुर
9. श्रीमती बसन्ती बेवा मूला जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा आमेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र किशना
2. नर्बदा पुत्री किशना पत्नि घासीराम
3. प्रभाती बेवा किशना मृतक (हजफ)
   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा आमेर जिला जयपुर
4. गुल्ला पुत्र मांग्या (मृतक दौराने वाद)

4/1. दीनदयाल पुत्र गुल्ला जाति ब्राहम्ण निवासी काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा आमेर जिला जयपुर
4/2. प्रेम देवी पुत्री गुल्ला पत्नि नारायण लाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तिगरिया वाया इटावा भोपजी तहसील चौंमू जिला जयपुर
4/3. कौशल्या देवी देवी पुत्री गुल्ला पत्नि भागीरथ जाति ब्राहम्ण निवासी आमलोदा तहसी तहसील विराटनगर जिला जयपुर
4/4. सुमित्रा देवी पुत्री गुल्लाराम पत्नि गोकुल जाति ब्राहम्ण निवासी अरणिया तहसील आमेर जिला जयपुर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर
6. रूपसिंह पुत्र रूडमल जाट निवासीग्राम हरचन्दपुरा उर्फ काकरावाला तहसील आमेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत</u>
<u>धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 240 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन [illegible] कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 585, 586, 587 [illegible] 6[illegible], 634, 635, 636, 637, 638, 639 व 640 है वाके ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा पूर्व त[illegible] जमवारामगढ हाल तहसील आमेर जिला जयपुर के वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार [illegible] करते चले आ रहे है और लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी [illegible] वादीगण 1 लगायत 8 के पिता एवं वादिया संख्या 9 के पति मूला एकमात्र खातेदार काश्तकार थे और अब वादीगण 1 लगायत 9 है लेकिन सहवन से दौराने एकीकरण उक्त आराजी प्रतिवादीगण की अन्य आराजीयात के साथ एक ही खाते में लग गई जबकि एकीकरण के पूर्व मृतक मूला वादीगण 1 लगायत 8 के पिता एवं वादिया सख्या 9 के पति व प्रतिवादीगण के खाते में अलग-अलग थे। उनका एक ही खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

...खाते के सम्पूर्ण आराजीयात के अलावा अन्य आराजीयात पर नही तो खातेदारी अधिकार ही थे न ही कब्जा था और वादीगण की आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं था। लेकिन यह त्रुटि एकीकरण के दौरान सहवन से हो गई है जिसका कोई कानूनी आधार नहीं था और ना ही अब है जिसमें मृतक मूला की वल्दीयत भी बदल गई है। वादीगण अनपढ़ व काश्तकार व्यक्ति होने के कारण काफी दिनों तक इस त्रुटि की जानकारी नहीं हुई और बाद में जब वादीगण को इस त्रुटि की जानकारी हुई तो प्रतिवादीगण यह आश्वासन देते रहे कि वास्तव में आराजीयात तो तुम्हारी अलग है और तुम इस पर खेती करते आ ही रहे हो इसलिए जब भी हमें समय मिलेगा हम इस त्रुटि को ठीक कराने में तुम्हारा सहयोग करेंगे। वर्तमान में कृषि भूमि की कीमत बढ़ जाने से प्रतिवादीगण के मन में खोट आ गया और वे मन ही मन वादीगण की इस आराजी को हड़प करने की सोचने लगे। इसलिए जब वादीगण ने दिनांक 20.11.1981 को प्रतिवादीगण को यह कहा कि तुम लोग उक्त रिकार्ड की त्रुटि को ठीक कराने की कार्यवाही में सहयोग करें तो पहले तो वे टालम–टोल करते रहे और बाद में स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इसके बाद वादीगण व ग्राम के मौजीज व्यक्तियों ने भी काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन प्रतिवादीगण फिर भी नहीं माने और उन्होंने उल्टा वादीगण को ही यह धमकी दी कि जो भूमि हमारे नाम लग गई है उस पर हम लाठी के जोर से कब्जा करके खेती करेंगे और तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते इसलिए इस सब से वादीगण को यह युक्तियुक्त रूप से आशंका हो गई कि प्रतिवादीगण अब वादीगण की उक्त आराजी को गैर कानूनी तरीके से हडपना चाहते है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कोई हक व संबंध नहीं है और न ही उनका कब्जा काश्त है जबकि मृतक मूला इस आराजी का खातेदार काश्तकार था और खातेदार काश्तकार खेती करता चला आ रहा था और उसकी मृत्यु के बाद वादीगण खेती कर रहे है और अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। लेकिन इन सब तथ्यों के बावजुद भी दौराने एकीकरण यह त्रुटि होने के कारण वादीगण के हितों का प्रतिवादीगण हनन कर रहे है। जिसका उनकों कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः वाद वादीगण विरूद प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावें कि आराजी खसरा नम्बर 240 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 6 बीघा जिसके हाल सेटलमेन्ट के नये खसरा नम्बर 585, 586, 587, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639 व 640 बने है वाके ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा पूर्व तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आमेर जिला जयपुर के सम्पूर्ण भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 14.08.2000 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता सुरेश शर्मा ने वकालत नामा पेश किया। दिनांक 19.09.2000 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 05.02.2001 को प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 5 का पेश हुआ। दिनांक 09.10.2001 को प्रतिवादी सं 3 का नाम हजफ किया गया। दिनांक 06.01.2003 को प्रतिवादी सं 1 ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है वादग्रस्त भूमि कभी भी वादीगण के पूर्व हकाधिकारी के नाम नहीं रही है बल्कि वादग्रस्त भूमि किश्ना, गुल्ला व मूल्या पिसरान मांग्या के बहिस्सा बराबर की भूमि रही है। एकीकरण के दौरान कोई त्रुटि नहीं हुई है। एकीकरण की कार्यवाही को चुनौती देने का वादीगण का कोई अधिकार नहीं है और ना ही एकीकरण की कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वादग्रस्त भूमि में मिन प्रतिवादी 1/3 भाग का रिकाडेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण द्वारा वस्तुस्थिति को छिपकार गलत आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। विवादित आराजियात में वादीगण का 1/3 भाग मिन प्रतिवादी का 1/3 भाग व प्रतिवादी सं 4 का 1/3 भाग है। अतः वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें। दिनांक 09.07.2007 को प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 का पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर रूपसिंह को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में स्थापित किया गया। दिनांक 17.06.2009 को कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 4/1 ता 4/4 के विरूद एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 16.12.2009 को निम्न विवाद्यक कायम की गई जो इस प्रकार है–

1. आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 240 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बिस्वा कुल रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल सेटलमेन्ट के नये खसरा नम्बर 585, 586, 587, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 639 व 640 बने है के संपूर्ण भाग के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है।
2. आया वादीगण के स्व० पिता मूला पुत्र छोटू ब्राहमण की खातेदारी की भूमि विवादग्रस्त को प्रतिवादीगण की अन्य आराजीयात के साथ एक ही खाते में लगाकर मृतक मूला की

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

वल्दियत बदल दी गई, सैटलमेन्ट द्वारा की उक्त त्रुटि का कानूनी रूप कोई आधार नही होने से वादीगण पूर्व की स्थिति को बहाल करवाने के अधिकारी है।

3. आया वादीगण प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।
4. आया वाद बिना वाद कारण व मयाद से बहार पेश किया गया होने से खारिज योग्य है।
5. आया वादीगण ने दावा दायर करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 5 को धारा 80 सी. पी.सी. का नोटिस नही दिया तथा वाद इसी आधार पर खारिज होने योग्य है।
6. आया वाद कम शुल्क पर प्रस्तुत किया गया है जो चलाने योग्य है।
7. अनुतोष।
8. आया वाद आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के प्रावधानो के तहत चलने योग्य नहीं है।

दिनाक 29.07.2010 को प्रतिवादी संख्या 6 की ओर जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है।.. कि मृतक मूला इस आराजी का खातेदार, काश्तकार था और खातेदार, काश्तकार खेती करता चला आ रहा था। उक्त चरण में यह भी गलत लिखा है कि उसकी मृत्यु के बाद वादीगण खेती कर रहे हो और अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हो। उक्त चरण में यह भी गलत लिखा है कि इन सब तथ्यों के बावजूद भी दौराने एकीकरण यह त्रुटि होने के कारण वादीगण के हितों की प्रतिवादीगण हनन कर रहे हो। उक्त चरण में यह भी गलत लिखा है कि प्रतिवादीगण [illegible] कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावे के साथ विशेष कथन अंकित किये गये जो इस प्रकार है:–वादीगण का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा तथा प्रतिवादी संख्या– 1 द्वारा मिन उत्तरदाता को अपने खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि दिनांक 27–9–2006 को जरिये विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा कर कब्जा आराजीयात सम्भलवाया गया था, तब से ही मिन उत्तरदाता भूमि खसरा नम्बर– 607, 662, 663, 664, 671 कुल किता 5 कुल रकबा 0.71 हेक्टेयर ग्राम काकराला उर्फ हरचन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला–जयपुर कब्जा प्राप्त कर काश्त करता चला आ रहा है। मिन उत्तरदाता के विरूद्ध वादीगण द्वारा एक वाद संख्या– 334/06 उनवान हनुमान वगैरहा बनाम रामस्वरूप वगैरहा न्यायालय श्रीमान् अपन जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर में बाबत निरस्तीकरण रजिस्ट्री दिनांक 27–0९–2006 का पेश किया गया था, जिसका निर्णय दिनांक 29–1–2010 को मिन उत्तरदाता के पक्ष में हुआ है तथा आज दिनांक तक उक्त रजिस्ट्री दिनांक 27–09–2006 को निरस्त नहीं किया गया है, इस प्रकार मिन उत्तरदाता सद्भावी क्रेता होकर उक्त पैरा संख्या–11 में वर्णित खसरा नम्बरान पर काबिज काश्त है। अतः प्रतिवादी का जवाब रिकार्ड पर लिया जाकार वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें। दिनांक 17.8.2010 को वादी की ओर से पेश जवाब उल जवाब को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 9.11.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का पेश किया जिसे दिनांक 03.01.2011 को खारिज किया गया। दिनांक 22.03.2011 को प्रतिवादी सं 1 की ओर से संशोधित जवाब दावा पेश किया गया जो इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी वादीगण के पूर्व हकाधिकारी के नाम नहीं रही है बल्कि वादग्रस्त भूमि किश्ना, गुल्ला व मूल्या पिसरान मांग्या के बहिस्सा बराबर की भूमि रही है। एकीकरण के दौरान कोई त्रुटि नहीं हुई है। एकीकरण की कार्यवाही को चुनौती देने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है और ना ही एकीकरण की कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पूर्व वाद सं 204/91 बाद [illegible]ल विचारन के दौरान अदम पैरवी में खारिज हो गया था जिसमें वादीगण द्वारा कोई चाराजोही नहीं की तथा पश्चातवर्ती वाद सं 424/02 हनुमान व रामस्वरूप वगैरह उसी वाद कारण दिनांक 20.11.1991 का अविलम्ब दायर किया है। जबकि वादीगण का पिता स्व. मूल्या दिनांक 20.11.1991 को जीवित था। दिनांक 10.06.2011 को प्रकरण में संशोधित तनकी न0 8 कायम की गई जो इस प्रकार है–

आया वाद आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं है।

दिनांक 16.06.2011 को प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। दिनांक 30.05.2012 [illegible] जयपुर द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना खारिज किया गया। वाद–बिन्दू कायम होने के प[illegible]गण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में [illegible] मिलान क्षेत्रफल गत (साबिक) प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत [illegible] प्रदर्श–1, [illegible] से 2027 प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रति मिलान प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रति खतौनी [illegible] सम्वत 2008 से 2012 प्रदर्श–5, प्रमाणित क्षेत्रफल हाल प्रदर्श–4, प्रमाणित प्रति खसरा [illegible] प्रमाणित प्रति पर्चा भू–प्रबन्ध(सैटलमेन्ट) प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 2016 प्रदर्श–6, विभाग प्रदर्श–7 पेश किये है। मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 अशोक पुत्र मूला, पी.डब्ल्यू. 2 हनुमान पुत्र मूला, पी.डब्ल्यू. 3 सेडूराम पुत्र घीसाराम, पी. डब्ल्यू 4 लक्ष्मीनारायण पुत्र हरला के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिनके बयान लेखबद्ध किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रति वकालतनामा वकील श्री लालचन्द जाट दिनांक 04.11.1991 मुवक्किल मूल्या पुत्र छोटू न्यायालय एस.डी.ओ. आमेर प्रदर्श–डी 1, प्रमाणित प्रतिलिपि वकालतनामा प्रतिवादी किशना वकील श्री सुरेश शर्मा दिनांक 03.03.1992 प्रदर्श–डी 2, प्रमाणित प्रतिलिपि वकालतनामा किशना, गुलाब पुत्रान मांगीलाल वकील श्री हनुमान सहाय शर्मा दिनांक 26.11.1991 प्रदर्श–डी 3, प्रमाणित प्रतिलिपि ऑर्डर शीट व प्रार्थना पत्र बाजदायरी 22/1995 प्रदर्श–डी 4, प्रमाणित प्रतिलिपि ऑर्डर शीट दावा संख्या 204/1993 खारिज दिनांक 05.04.1995 प्रदर्श–डी 5, प्रमाणित प्रतिलिपि दरखास्त कायम मुकाम दिनांक 10.08.2013 प्रदर्श–डी 6, प्रमाणित प्रतिलिपि एकीकरण दिनांक 23.05.1963 प्रदर्श–डी 7, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्वाचन नामावली सन 1980 विधानसभा क्षेत्र भाग संख्या 12 जमवारामगढ प्रदर्श–डी 8, प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपत्र जयपुर वि.वि.नि.लि. दिनांक 22.06.2017 अभियन्ता जयपुर प्रदर्श–डी 9, विक्रय विलेख ग्राम पंचायत कंवरपुरा, पंचायत समिति आमेर मिसल संख्या 28 दिनांक 15.09.1961 प्रदर्श–डी 10, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 21 व 38 दिनांक 20.08.2001 व दिनांक 12.05.1993 प्रदर्श–डी 11 व 12, असल रसीद हासिल 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 प्रदर्श–डी 13, बिजली का बिल प्रदर्श–डी 14 पेश किये है। प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी.डब्ल्यू. 1 रामस्वरूप पुत्र किशना, डी.डब्ल्यू. 2 रूप सिंह पुत्र रूडमल जाट के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिनके बयान [illegible] किये गये।

उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सूनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं बयान गवाहान को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब दावें एवं बयान गवाहान को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का वाद खारिज किया जावें। हमने बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन से पाया कि वाद पत्र का निस्तारण वाद में विरचित तनकीयात अनुसार किया जाना आवश्यक है।

तनकी संख्या एक व दो एक दूसरे सम्बन्धित है इसलिए दोनों तनकीयात का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है:— इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है, इस सम्बन्ध में वादीगण का कहना है आराजी खसरा नम्बर 240 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 585, 586, 587, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639 व 640 वाके ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा पूर्व तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आमेर जिला जयपुर वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार खेती करते है और लगान अदा कर रहे है इसके सन्दर्भ में वादीगण ने प्रमाणित प्रति खतौनी बंदोबस्त संवत 2008 से 2027, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें वादीगण के हकपूर्वाधिकारी मूल्या पुत्र छोटू कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार के रूप में अंकित है। वादीगण का यह भी कथन है कि उक्त वर्णित आराजीयात वादी संख्या 1 लगायत 8 के पिता एवं वादिया के पति मूला एकमात्र खातेदार काश्तकार थे और अब वादीगण 1 लगायत 9 है, लेकिन सहवन से दौराने एकीकरण उक्त आराजी प्रतिवादीगण की अन्य आराजीयात के साथ एक ही खाते में लग गई जबकि एकीकरण से पूर्व मृतक मूला वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते में अलग अलग थे। उनको एक ही खाता बनाने से उस खाते से सम्पूर्ण आराजीयात के अलावा अन्य आराजीयात पर नही तो खातेदारी अधिकार ही थे और ना ही कब्जा था और वादीगण की आराजीयात प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नही था तथा मृतक मूला की वल्दियत भी बदल दी। इस सन्दर्भ में वादीगण की ओर प्रमाणित प्रति खतौनी बंदोबस्त संवत 2008 से 2027, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2038 भी प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत है कि एकीकरण से पूर्व मूल्या पुत्र छोटू का नाम एकमात्र खातेदार के रूप में दर्ज था जो वर्तमान में यह इन्द्राज किशना, गुल्ला व मूल्या पि0 मांग्या हिस्सा 3/4 श्योनारायण वल्द गोपाल हिस्सा 1/4 अंकित कर दिया, इस प्रकार भू–प्रबन्धन विभाग को ऐसा कोई अधिकार नही है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी [illegible] डिक्री के अभाव में भू–प्रबन्धन विभाग खातेदार अधिकार समाप्त व परिवर्तन नहीं कर [illegible]। प्रतिवादीगण की इस सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे [illegible] पक्ष में कोई तथ्य साबित होता हो, जबकि वादीगण द्वारा इन तथ्यों को [illegible] एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया गया है जिसे वादीगण उक्त त्रुटि की दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। अतः साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरा मत है कि वादीगण तनकी संख्या एक एवं दो अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या एक एवं दो वादीगण के पक्ष में तय की जाती है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या तीनः— इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। इस सम्बन्ध में वादीगण का कहना है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है और प्रतिवादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने इस सन्दर्भ में खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की है जिसमें वादीगण के हकपूर्वाधिकारी उक्त वादग्रस्त भूमि पर काबिज है और उनका कब्जा रहा है और वादीगण के हकपूर्वाधिकारी के फौत हो जाने के पश्चात से ही वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि पर काबिज है और तनकी संख्या एक व दो को साबित करने में वादीगण सफल रहे है, ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। अतः दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरा मत है कि वादीगण तनकी संख्या तीन अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या तीन वादीगण के पक्ष तय की जाती है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या चारः– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। प्रतिवादीगण का इस सम्बन्ध में कहना है कि वादीगण द्वारा वाद मयाद बाहर प्रस्तुत किया गया, वाद पत्र का अवलोकन किया गया वादीगण द्वारा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा के वाद के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है, घोषणा का वाद कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः कानूनी विवेचन के आधार पर मेरा मत है कि प्रतिवादीगण तनकी संख्या चार अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या चार प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या पांचः– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कानूनी तर्क रहा कि दावा दायर करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 5 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, इस सम्बन्ध में यह देखना आवश्यक है कि जब कोई अनुतोष राजस्थान सरकार के विरूद्ध चाहा गया है तो धारा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है यहां वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के नाम हुआ गलत इन्द्राज के सम्बन्ध में वाद पत्र पेश किया है राजस्थान सरकार से कोई अनुतोष की मांग नही की गई, ऐसी स्थिति में धारा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। अतः कानूनी विवेचन के आधार पर मेरा मत है कि प्रतिवादीगण तनकी संख्या पांच अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या पांच प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या छः:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कानूनी तर्क रहा कि वाद कम न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया गया है, इस सम्बन्ध में वाद पत्र का अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार धारा 88 के लिए न्याय शुल्क 1 रूपये, धारा 89 के लिए न्याय शुल्क 1 रूपये, व धारा 188 के लिए न्याय शुल्क 1 रूपये कुल 3 रूपये निर्धारित है जिसके आधार पर दावा 3/– रूपये के न्यायालय शुल्क पर वाद पेश किया गया है। वादीगण द्वारा कोई न्याय शुल्क कम अदा नही किया गया है, प्रतिवादीगण इस तर्क को साबित करने में असफल रहे है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या छः प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या आठः– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस तनकी के सन्दर्भ में प्रतिवादीगण का कहना है कि आदेश 9 नियम 9 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत वाद चलने योग्य नही है। इस सम्बन्ध में वादीगण का कथन रहा है कि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा पूर्व में कोई वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हो तो उसकी जानकारी वादीगण को कभी नही रही है, वादीगण ने अपने हक व अधिकारों की घोषणा करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया है इससे पूर्व वादीगण ने कोई दावा प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्या का अवलोकन किया गया अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि वादीगण द्वारा पूर्व में कोई वाद प्रस्तुत किया गया है पूर्व वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ है और वाद का संपूर्ण निस्तारण नहीं हुआ है। अतः वादी वाद प्रस्तुत नहीं करने हेतु बाध्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 9 जाप्ता दीवानी के प्रावधान वादीगण पर लागू नही होते है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य व कानूनी विवेचन के आधार पर [illegible] प्रतिवादीगण तनकी संख्या आठ अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है, [illegible] स्थिति में तनकी संख्या आठ प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या सातः– उपरोक्त विवेचनानुसार [illegible] तनकी संख्या एक लगायत तीन वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा तनकी [illegible] चार लगायत छः एवं आठ प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को वाके ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा पूर्व तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

आराजी खसरा नम्बर 240 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन चाह कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 585, 586, 587, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639 व 640 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से मजाहमत नहीं करें, ना ही अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावे। इसी अनुरूप अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्यामा राठौड़)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड़, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 30/2013

निर्णय दिनांक : 04.08.2023

1. हनुमान
2. महेश
3. रमेश
4. अशोक
5. विनोद

पुत्रान मूला समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा आमेर जिला जयपुर

6. श्रीमती बरजी देवी पुत्री मूला पत्नि श्री हरिनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अर्जनपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
7. श्रीमती राजूदेवी पुत्री मूला पत्नि महेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
8. सावित्री देवी पुत्री मूला नाबालिग उम्र 14 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा आमेर जिला जयपुर
9. श्रीमती बसन्ती बेवा मूला जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा आमेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र किशना
2. नर्बदा पुत्री किशना पत्नि घासीराम
3. प्रभाती बेवा किशना मृतक (हजफ)

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा आमेर जिला जयपुर

4. गुल्ला पुत्र मांग्या (मृतक दौराने वाद)

4/1. दीनदयाल पुत्र गुल्ला जाति ब्राहम्ण निवासी काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा आमेर जिला जयपुर

4/2. प्रेम देवी पुत्री गुल्ला पत्नि नारायण लाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तिगरिया वाया इटावा भोपजी तहसील चौंमू जिला जयपुर

4/3. कौशल्या देवी देवी पुत्री गुल्ला पत्नि भागीरथ जाति ब्राहम्ण निवासी आमलोदा तहसी तहसील विराटनगर जिला जयपुर

4/4. सुमित्रा देवी पुत्री गुल्लाराम पत्नि गोकुल जाति ब्राहम्ण निवासी अरणिया तहसील आमेर जिला जयपुर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर
6. रूपसिंह पुत्र रूडमल जाट निवासीग्राम हरचन्दपुरा उर्फ काकरावाला तहसील आमेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पे होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण को वाके ग्राम काकरावाला उर्फ हरचन्दपुरा पूर्व तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 240 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन ... कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 585, 586, 587, 632, 633, 634, ... 637, 638, 639 व 640 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण को ... निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें, ना ही अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..................फीसदी सालाना ... की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.08.2023 को जारी की गई।

दस्तखत ....

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

मुहर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक मीजान		
मुतफरिक मीजान					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.31 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested